कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 29/2020 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री राजेन्द्र कुमार(आरटीआईए) निवासी गांव चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ।

---प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांकः—24.9.2020

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ के संबंध में प्राप्त हुई। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ से आवदेन पत्र दिनांक 25.06.2020 द्वारा सूचना नहीं दिये जाने पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ से पत्र क्रमाक 472 दिनांक 03.09.2020 से प्राप्त जवाब का अवलोकन करने से पाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना का सम्बन्ध लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ से होने पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ द्वारा अपीलार्थी के सूचना हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2020 को पत्र क्रमांक 305 दिनांक 06.07.2020 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ को अंतरित किया गया है व जिसकी सूचना पत्र क्रमांक 306 दिनांक 06.07.2020 से अपीलार्थी को भी दिया जाना पाया गया है। इस न्यायालय द्वारा अपील के सम्बन्ध में जवाब चाहे जाने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ ने पत्रांक 5975 दिनांक 23.9.2020 द्वारा सूचित किया गया कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.3.2020 जो कि श्री रामसिह मीणा आई. एल.आर. के विरूद्व प्रारम्भिक जांच करवाने के संबध में प्राप्त हुआ था, उक्त प्रार्थना पत्र की जांच बाबत तहसीलदार (भू.अ.) रावतसर को पत्रांक 2071 दिनांक 23.3.2020 व स्मरण पत्र दिनांक 5925 दिनांक 18.9.2020 से रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया है जिसकी जांच रिपोर्ट आज दिनांक तक अप्राप्त है किन्तु उक्त पत्रों के द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी को उसके सूचना हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2020 द्वारा वांछित सूचना नहीं दी गयी है।

अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2020 के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नियमानुसार आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ तथा अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official